रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL S. LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 120] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2001/फाल्गुन 7, 1922

No. 120] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2001/PHALGUNA 7, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

का.आ. 165 (अ).—विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक), नियमावली, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, पूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के दिनांक 2 दिसम्बर, 1998 के आदेश सं. का.आ. 1028 (अ) द्वारा गठित कागज, लुग्दी तथा संबद्ध उद्योगों हेतु विकास परिषद् के कार्यकाल में छः माह की और अवधि अर्थात् 2 जून, 2001 तक वृद्धि करती है।

[फा. सं. 8(9)/2000-कागज]

पी.जी. मांकड, सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 26th February, 2001

S.O. 165 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby extend for a further period of six months i.e. upto 2nd June, 2001 the tenure of the Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries constituted through Order No. 1028 (E) dated the 2nd December, 1998 of the Government of India in the then Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion).

[F. No. 8 (9)/2000-Paper]

P.G. MANKAD, Secy.

580 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064.